रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--21

REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—21

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-13112021-231073
CG-DL-W-13112021-231073

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 13—नवम्बर 19, 2021 (कार्तिक 22, 1943)

No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 13—NOVEMBER 19, 2021 (KARTIKA 22, 1943)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	677
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	753
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	19
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	2453
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	3091
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	503
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	2211
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	677
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	753
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence...........	19
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2453
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations..	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3091
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	503
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	2211
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली–110001, दिनांक 9 नवंबर 2021

संकल्प

सं. 20017/01/2020-रा.भा.(नीति)—भारत सरकार ने केंद्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1.	प्रधान मंत्री	अध्यक्ष
2.	गृह मंत्री	उपाध्यक्ष
3.	गृह राज्य मंत्री (गृह मंत्रालय में राजभाषा के प्रभारी)	सदस्य
4.	स्वस्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	सदस्य
5.	शिक्षा मंत्री	सदस्य
6.	विधि और न्याय मंत्री	सदस्य
7.	इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री	सदस्य
8.	महिला एवं बाल विकास मंत्री	सदस्य
9.	ग्रामीण विकास मंत्री	सदस्य
10.	विदेश मंत्रालय एवं संसदीय कार्यालय मंत्रालय में राज्य मंत्री	सदस्य
11.	मुख्य मंत्री, असम	सदस्य
12.	मुख्य मंत्री, ओड़िशा	सदस्य
13.	मुख्य मंत्री, आंध्र प्रदेश	सदस्य
14.	मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र	सदस्य
15.	मुख्य मंत्री, कर्नाटक	सदस्य
16.	मुख्य मंत्री, उत्तराखंड	सदस्य
17.	उपाध्यक्ष, संसदीय राजभाषा समिति	सदस्य
18.	संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति के संयोजक	सदस्य
19.	संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति के संयोजक	सदस्य
20.	संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति के संयोजक	सदस्य
21.	सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य सचिव

2. यह समिति हिंदी के विकास और प्रसार के विषय में तथा सरकारी काम काज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों तथा कार्यक्रमों का समन्वय करेगी।

3. अपने काम के निष्पादन में सहायता देने के लिए समिति को आवश्यकतानुसार उपसमितियां नियुक्त करने और अतिरिक्त सदस्य सहयोजित करने का अधिकार होगा।

4. समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता देने के प्रयोजन से इस समिति को उच्च स्तरीय समिति माना जाएगा।

5. समिति के कार्यकाल की अवधि उसके पुनर्गठन की तारीख से तीन वर्ष होगी।

6. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, नीति आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधरण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मीनाक्षी जौली
संयुक्त सचिव

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 सितम्बर 2021

संकल्प

सं. 11015(1)/2019-हिंदी—नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के कार्यकाल की समाप्ति पर, भारत सरकार एतद्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन करती है :—

1) गठन :

इस समिति के निम्नलिखित सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य होंगे:—

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री — अध्यक्ष

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री — उपाध्यक्ष

गैर-सरकारी सदस्य

क) संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित संसद सदस्य :

1. डॉ. मनोज राजोरिया, संसद सदस्य (लोक सभा) — सदस्य
189, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110011

2. श्री भरत राम मारगनी, संसद सदस्य (लोक सभा) — सदस्य
8, वेस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली-110001

3. श्री अमीन नरहरी, संसद सदस्य (राज्य सभा) — सदस्य
एबी-89, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110011

4. श्रीमती ममता मोहंता, संसद सदस्य (राज्य सभा) — सदस्य
डाकखाना-नंगलबेंटा पोखरिया, जिला-मयुरभंज, ओडिशा-757033

ख) संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित संसद सदस्य :

5. श्री किन्जरापु राम मोहन नायडू, संसद सदस्य (लोक सभा) — सदस्य
सी-6, एमएस फ्लैट्स, सिंधु अपार्टमेंट्स,
बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001

6.	श्री बालूभाऊ नारायणराव धानोरकर, संसद सदस्य (लोक सभा) 'सूर्यकिरण' लक्ष्मीनगर, अभयंकर वार्ड, वरोरा, जिला-चन्द्रपुर, महाराष्ट्र-442907	सदस्य
ग)	केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के प्रतिनिधि :	
7.	श्री पंकज दीवान 3/10, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008	सदस्य
घ)	अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ के प्रतिनिधि :	
8.	डॉ. राजेन्द्र खिमाणी, कुलपति, गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380014	सदस्य
ड़)	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य :	
9.	डॉ. वी. के. अग्रवाल 232, प्रभावी अपार्टमेंट, प्लॉट सं. 29बी, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075	सदस्य
10.	श्री शिव कुमार मदान सी-2/172, प्रथम तल, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058	सदस्य
11.	डॉ. जी.एल. महाजन, ग्राम व पोस्ट: कुलवल वाया चकमोह, तहसीलः बिझरी, जिलाः हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) 176039	सदस्य
12.	श्री यतीन्द्र नाथ चतुर्वेदी 3/16, कबीर नगर, दुर्गाकुंड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221005	सदस्य
च)	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य :	
13.	डॉ. बीनू डी. पुलारी, पायट्टुविला, पायट्टुविला पी.ओ., बलरामपुरम, तिरुअनंतपुरम, केरल-695501	सदस्य
14.	श्री नरेंद्र दीपक ई-1/159, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश-462016	सदस्य
15.	श्री ऋषि कुमार मिश्र डी-102, साईंधाम अपार्टमेंट, होलीक्रॉस स्कूल के पीछे चिकन घर, कल्याण (पश्चिम), महाराष्ट्र-421301	सदस्य
अन्य सरकारी सदस्य		
16.	सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	सदस्य
17.	सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
18.	अपर सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	सदस्य
19.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
20.	महानिदेशक, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम	सदस्य
21.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था, नई दिल्ली	सदस्य
22.	प्रबंध निदेशक, भारतीय सौर ऊर्जा निगम, नई दिल्ली	सदस्य
23.	महानिदेशक, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई	सदस्य

24.	महानिदेशक, सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय बायो-ऊर्जा संस्थान, कपूरथला, पंजाब	सदस्य
25.	संयुक्त सचिव/आर्थिक सलाहकार/उप महानिदेशक, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	सदस्य सचिव

2) समिति का कार्य :

यह समिति सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग और संबद्ध मामलों पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को सलाह देगी।

3) समिति का कार्यकाल :

समिति का कार्यकाल उसके पुनर्गठन की तारीख से तीन वर्ष के लिए होगा, परन्तु;

(क) समिति में नामजद संसद सदस्य उनकी संसद की सदस्यता समाप्त होने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक ही समिति के सदस्य रहेंगे जब तक कि वे उस पद पर रहेंगे जिसके कारण वे समिति के सदस्य बने हैं; और

(ग) समिति के कार्यकाल के मध्य उत्पन्न हुई रिक्तियों के लिए नियुक्त किए गए सदस्य का कार्यकाल, तीन वर्ष के कार्यकाल की केवल शेष अवधि तक ही रहेगा।

4) सामान्य :

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और समिति की बैठकें केवल दिल्ली में ही आयोजित की जाएंगी।

5) यात्रा तथा अन्य भत्ते :

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं.11/20034/04/2005-रा.भा. (नीति-2) दिनांक 03 फरवरी, 2006 के तहत यह उल्लेख किया गया है कि चूंकि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित हिंदी सलाहकार समितियों में नामित 15 गैर-सरकारी सदस्यों में 06 संसद सदस्य होते हैं, अत: यात्रा/दैनिक भत्ता प्रावधान को अधिक स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित प्रावधान किया जाता है:-

(क) समिति में नामित सांसदों को "संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954" के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

(ख) समिति के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं.11/22034/04/86-रा.भा. (क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, महालेखाकार, भारत निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जे. राजेश कुमार
आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi–110001, the 9th November 2020

RESOLUTION

No. 20017/01/2020-O.L.(Policy)—The Government of India have decided to reconstitute the Kendriya Hindi Samiti. The Samiti will consist of:—

1.	Prime Minster	Chairman
2.	Home Minister	Deputy Chairman
3.	Minister of State, Incharge of Official Language in Ministry of Home Affairs	Member
4.	Minister of Health & Family Welfare	Member
5.	Minister of Education	Member
6.	Minister of Law & Justice	
7.	Minister of Electronics & Information Technology	Member
8.	Minister of Women & Child Development	Member
9.	Minister of Rural Development	Member
10.	Minister of State, Ministry of External Affairs and Ministry of Parliamentary Affairs	Member
11.	Chief Minister, Assam	Member
12.	Chief Minister, Odisha	Member
13.	Chief Minister, Andhra Pradesh	Member
14.	Chief Minister, Maharashtra	Member
15.	Chief Minister, Karnataka	Member
16.	Chief Minister, Uttrakhand	Member
17.	Deputy Chairman, Committee of Parliament on Official Language	Member
18.	Convenor of 1st sub-committee of the Committee of Parliament on Official Language	Member
19.	Convenor of 2nd sub-committee of the Committee of Parliament on Official Language	Member
20.	Convenor of 3rd sub-committee of the Committee of Parliament on Official Language	Member
21.	Secretary, Department of Official Language	Member Secretary

2. The functions of this Samiti will be to bring about coordination in the work and programmes relating to the development and propagation and progressive use of Hindi for the official purposes being implemented by the various Ministries/ Departments of Government of India.

3. The Samiti will have the power to appoint Sub-Committees and Co-opt additional members, as may be necessary, for assisting it in the discharge of its functions.

4. This Samiti will be treated as High Powered Committee for the purposes of grant of TA/DA to its non-official members for participation in its meetings.

5. The term of the Samiti will be three years from the date of its reconstitution.

6. The Headquarter of the Samiti will be at New Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, Administrators of Union Territories, all the Ministries and Departments of the Government of India, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Niti Aayog, Comptroller and Auditor General of India, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MEENAKSHI JOLLY
Joint Secretary

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

New Delhi-110003, the 8th September 2021

RESOLUTION

No. 11015(1)/2019-Hindi—On the conclusion of the tenure of the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of New and Renewable Energy, the Govt. of India hereby reconstitutes the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of New and Renewable Energy as under :—

1) Composition :

The following will be the Official and Non-official Members of the Samiti :

Minister for New and Renewable Energy	Chairman
Minister of State for New and Renewable Energy	Vice Chairman

Non-Official Members

a) Members of Parliament nominated by Ministry of Parliamentary Affairs :

1.	Dr. Manoj Rajoria, Member of Parliament (Lok Sabha) 189, South Avenue, New Delhi – 110011	Member
2.	Shri Bharat Ram Margani, Member of Parliament (Lok Sabha) 8, Western Court, New Delhi-110001	Member
3.	Shri Amin Narhari, Member of Parliament (Rajya Sabha) AB-89, Shahjahan Road, New Delhi-110011	Member
4.	Smt. Mamata Mohanta, Member of Parliament (Rajya Sabha) At/PO: Nangalbenta Pokharia, Dist.: Mayurbhanj, Odisha – 757033	Member

b) Members of Parliament nominated by Committee of Parliament on Official Language:

5.	Shri Kinjarapu Ram Mohan Naidu, Member of Parliament (Lok Sabha) C-6, MS Flats, Sindhu Apartments, Baba Kharak Singh Marg, New Delhi-110001	Member
6.	Shri Balubhau Narayanrao Dhanorkar, Member of Parliament (Lok Sabha) ‘Suryakiran’ Laxminagar, Abhyankar Ward, Warora, Distt. Chandrapur, Maharashtra-442907	Member

c) Representative of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad:

7.	Shri Pankaj Diwan 3/10, West Patel Nagar, New Delhi - 110 008	Member

d) Representative of Akhil Bharatiya Hindi Sanstha Sangh:

8.	Dr. Rajendra Khimani Vice-Chancellor, Gujarat Vidyapith, Ashram Road, Ahmedabad-380014	Member

e) Members nominated by Ministry of New and Renewable Energy:

9.	Dr. V. K. Agrawal 232, Prabhavi Apartment, Plot No. 29B, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075	Member
10.	Shri Shiv Kumar Madan, C-2/172, First Floor, Janakpuri, New Delhi-110058	Member
11.	Dr. G.L. Mahajan, Village and Post Office: Kulwal via Chakmoh Tehsil: Bijhri, District: Hamirpur (Himachal Pradesh) 176039	Member
12.	Shri Yatindra Nath Chaturvedi, 3/16, Kabir Nagar, Durgakund, Varanasi-221005 (Uttar Pradesh)	Member

f) Members nominated by Deptt. of Official Language, Ministry of Home Affairs:

13.	Dr. Binu D Pulari, Payattuvila, Payattuvila P.O., Balaramapuram, Thiruvananthapuram, Kerala- 695501	Member
14.	Shri Narendra Deepak, E-1/159, Arera Colony, Bhopal, Madhya Pradesh- 462016	Member
15.	Shri Rishi Kumar Mishra, D-102, Saidham Apartment, Behind Holy Cross School, Chikan ghar, Kalyan (West), Maharashtra- 421301	Member
	Other Official Members	
16.	Secretary, Ministry of New and Renewable Energy	Member
17.	Secretary, Department of Official Language	Member
18.	Addl. Secretary, Ministry of New and Renewable Energy	Member
19.	Joint Secretary, Department of Official Language	Member
20.	Director General, National Institute of Solar Energy, Gurugram	Member
21.	CMD, Indian Renewable Energy Development Agency, New Delhi	Member
22.	MD, Solar Energy Corporation of India, New Delhi	Member
23.	Director General, National Institute of Wind Energy, Chennai	Member
24.	Director General, Sardar Swarn Singh National Institute of Bio-Energy, Kapurthala, Punjab	Member
25.	Joint Secretary/Economic Adviser/Deputy Director General, Ministry of New and Renewable Energy	Member Secretary

2) Functions of the Samiti :

The Samiti shall advise the Ministry of New and Renewable Energy on matters relating to the progressive use of Hindi for official purposes.

3) Tenure of the Samiti :

The term of the Samiti will be three years from the date of its formation, provided that :

(a) A Member of Parliament nominated to the Samiti shall cease to be a member of the Samiti as soon as he/she ceases to be a Member of Parliament;

(b) Ex-officio members of the Samiti shall continue as members so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti; and

(c) Members appointed against mid-term vacancies shall hold office only for the residual period of the three year's tenure.

4) General :

The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi and meetings of Samiti will be held in Delhi only.

5) T.A. and Other Allowances :

The Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, vide their Office Memorandum II/20034/04/2005-OL (Policy-2) dated 3rd February, 2006 has intimated that as the 15 non-official members include 6 Members of Parliament, nominated in the Hindi Salahakar Samitis constituted by Central Ministries/Departments, so the provision regarding travelling/daily allowances is made more elaborate in the following manner :—

(a) The Members of Parliament nominated in the Samiti will be paid Travelling Allowance and Daily Allowance as per the provisions of the "Member of Parliament (Salary, Allowance and Pension) Act, 1954", as amended from time to time and rules made thereunder.

(b) Travelling Allowance and Daily Allowance to other non-official members of the Samiti will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language O.M.No. II/22034/04/86-OL (A-2) dated 22nd January, 1987 and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

ORDER

It is Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the members of the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of New and Renewable Energy, all State Governments and Union Territory Administrations, President’s Secretariat, Vice- President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat., Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Committee of Parliament on Official Language, NITI Aayog, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Election Commission of India, Union Public Service Commission and all Ministries and Departments of the Govt. of India.

It is also ordered that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

J. RAJESH KUMAR
Economic Adviser

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054